इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद ३४३(२) के अनुसार उन्हें अंग्रजी में छापना जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद, विभिन्न प्रतिभूतियों के शीर्षकों, उनकी रकमों और उनके ब्याज की रकमों को अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में छापना शुरू कर दिया गया है।

†[THE MINISTER OF FINANCE (SHRI T. T. KRISHNAMACHARI): (a) and (b) As regards currency and bank notes, Government's policy is to give value renderings in English and all the languages mentioned in Eighth Schedule to the Constitution of India. No proposal to change this policy is under consideration.

The question of printing debentures and hundies in Hindi does not arise, as Government as such does not issue any debentures or hundies.

As regards Government securities, these constitute contracts between the Central Government or the State Government and the persons holding them in due course. They have, therefore, to be printed in English as required under Article 343(2) of the Constitution of India. Notwithstanding this position, a beginning has been made by printing the headings, amounts and interest charges of various securities both in English as well as in Hindi.]

यात्रा भत्ते, वेतन आदि के लिए फार्म

६०. **श्री गिरराज किशोर कपूर :**
श्री विमलकुमार मुन्नालालजी चौरड़िया :

क्या वित मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यात्रा भत्ते, वेतन आदि से सम्बन्धित ऐसे कितने फार्म हैं जो भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों तथा कार्यालयों में उपयोग में लाये जाते हैं ;

(ख) इन में से कितने फार्म अब तक अंग्रेजी और हिन्दी दोनों भाषाओं में छप चुके हैं ; और

(ग) किन कारणों से शेष फार्म अभी तक दोनों भाषाओं में नहीं छापे गये और उनके एक साथ दोनों भाषाओं में कब तक छपने की सम्भावना है

†[FORMS FOR T.A., SALARIES, ETC.

60. SHRI G. K. KAPOOR:
SHRI V. M. CHORDIA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of forms in use in all the Ministries and Offices of the Government of India for travelling allowance, salaries.; etc.

(b) the number of such forms which have so far been printed both in English and Hindi; and

(c) the reasons for which the remaining forms have not so far been printed in both the languages and by when they are likely to be printed in the bilingual form?]

वित मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णामाचारी (क) रक्षा सेवाओं, रेलों तथा डाक और तार विभाग को छोड़ कर बाकी सब विभागों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के व्यक्तिगत दावों से सम्बन्ध रखने वाले फार्मों की संख्या ७ है।

(ख) और (ग) ये फार्म केन्द्रीय सरकार के राजकोष नियमों (ट्रेजरी रूल्स) के अनुसार निर्धारित किये गये हैं और इन नियमों में संशोधन किया जा रहा है। जैसे ही राजकोष नियमों में संशोधन हो जायगा, अंग्रेजी और हिन्दी के द्विभाषिक फार्म छपने की कार्रवाई शुरू कर दी जायगी।

†[ ] English translation.

†[THE MINISTER OF FINANCE (SHRI T. T. KRISHNAMACHARI): (a) 7, relating to personal claims of Government servants serving in Departments other than Defence Services, Railways and Posts and Telegraphs.

(b) and (c) The forms have been prescribed under the Treasury Rules of the Central Government which are being revised. Tne printing of bilingual forms in English and Hindi will be taken up immediately after the Treasury Rules are revised.]

नये उद्योग स्थापित करने के लिये अफ्रीकी देशों को भारतीय सहायता

६१. **श्री राम सहाय** : क्या वित मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में स्वतन्त्र हुए अफ्रीका और एशिया के किन किन देशों को नये उद्योग स्थापित करने के लिये भारत ने सहायता दी ; और

(ख) ऐसे उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

†[INDIAN ASSISTANCE TO AFRICAN COUNTRIES FOR SETTING UP NEW INDUSTRIES

61. SHRI RAM SAHAI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the names of the recently-freed countries of Africa and Asia to whom India helped in setting up new industries; and

(b) the details of such industries?]

वित मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णामाचारी) : (क) और (ख) भारतीय पार्टियों द्वारा विदेशी उद्योग-धंधों में पूंजी लगाये जाने के प्रस्ताव मिलने पर, उनके गुण व दोषों की दृष्टि से, उन पर विचार किया जाता है। प्रश्न के भाग (क) से सम्बन्ध रखने वाले जिन देशों में पूंजी लगाने के लिए हाल के वर्षों में अनुमति दी गयी है उनके नाम उद्योगों के संक्षिप्त ब्यौरे सहित नीचे दिये गये हैं :

देश का नाम	ऐसे उद्योग जिन में पूंजी लगाने की अनुमति दी गयी है
१. श्री लंका	. दवाएं, सिलाई की मशीनें।
२. नाइजीरिया	. इंजीनियरी का हलका सामान, वस्त्र।
३. इराक	. पंखे।
४. बर्मा	. सिलाई की मशीनें।
५. पूर्वी अफ्रीका	. साइकिल के पहिये की तीलियां।
६. लीबिया	. कंकरीट के नल।

†[THE MINISTER OF FINANCE (SHRI T. T. KRISHNAMACHARI): (a) and (b) Proposals for investments by Indian parties in industrial enterprises abroad are considered on merits as and when these are received. The names of countries relevant to part (a) of the question where such investments have been approved in recent years are given below with brief particulars of industries :

Name of the country	Industries in which investments have been allowed
1. Ceylon	Pharmaceuticals, Sewing Machines
2. Nigeria	Light Engineering goods textiles
3. Iraq	Fans
4. Burma	Sewing Machines
5. East Africa	Cycle spokes
6. Libya	Concrete pipes.

†[ ] English translation.